## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

## Rule 6: Validity of composition levy

- (1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.
- (2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in **FORM GST CMP-04** within seven days of occurrence of such event.
- (3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in **FORM GST CMP-04**, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.
- (4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in **FORM GST CMP-05** to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.
- (5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in **FORM GST CMP-06**, the proper officer shall issue an order in **FORM GST CMP-07** within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.
- (6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in FORM GST CMP-07 under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in FORM GST ITC-01 containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in FORM GST CMP-07, as the case may be.
- (7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 6: संयुक्त उद्ग्रहण की विधिमान्यता

- (1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी—04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा।
- (3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी—04 में आवेदन फाइल करेगा।
- (4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी—05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न इंकार कर दिया जाए।
- (5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी—06 में उत्तर की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने के विकल्प को इनकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में आदेश जारी करेगा।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी—01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।
- (7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रिजस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।